

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
:- 274/2018

शीर्षक

1. छीतर
2. भैरु
3. प्रभात
4. रामेश्वर

पुत्रान स्व. कजोड मल

5. सुरेन्द्र
6. प्रमोद

पुत्रान रामेश्वर

7. कानी देवी पत्नी छीतर
8. सीतादेवी पत्नी भैरु
9. झूमादेवी पत्नी प्रभात

10. कौशल किशोर
11. मुकेश

पुत्र भैरुराम

समस्त उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र झूथा

2. भगवाना
3. मुरली

पुत्रान किशाना

4. लाडा
5. सेडी
6. प्रेम
7. आंची
8. गोठी

पुत्रीयाँ नाथी देवी पत्नी किशाना

9. भैरु पुत्र नाथू

10. मंवर
11. रामेश्वर
12. बंशी
13. गोपी

पुत्रान जीवण

14. गोदी
15. प्रभू

पुत्रीया जीवण

16. घासी पुत्र देवा

17. मुरलीधर
18. जगदीश

पुत्रान सेडू

19. डूंगा पुत्र रामनाथ

20. कपिल
21. बंशी
22. बद्दीनारायण
23. कल्याण सहाय पुत्र धूडाराम

पुत्रान खीवा



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

24. हनुमानसहाय
25. कन्हैयालाल
26. बंशीधर
27. सुरजमल
28. जगदीशप्रसाद } पुत्रान रामू

29. मंगली पत्नी रामू
30. घीसा पुत्र रुडा

31. कालू } पुत्रान नानू
32. मदन }

33. प्रहलाद
34. हरफूल
35. शिशुपाल
36. कन्हैयालाल
37. मुकेश } पुत्रान दीपा

38. सुवालाल
39. सुणाराम
40. कानाराम
41. बंशीलाल } पुत्रान चन्द्रा

42. तीजा पत्नी चन्द्रा
43. कालूराम पुत्र नाथूराम उर्फ नाथूलाल
44. श्रीमती फुली पत्नी नाथूराम उर्फ नाथूलाल

45. सुमन } पुत्रीया नाथूराम उर्फ नाथूलाल
46. कविता }
47. छीतर } पुत्रान छाजू
48. भागीरथ }
49. गिरधारी }

50. मदनलाल दतक पुत्र भगवान सहाय
51. मन्नी पत्नी मदनलाल
52. गोठी पत्नी प्रभात

53. सुरजभान
54. रामवतार
55. मुकेश } पुत्रान नन्दा

56. प्रभाती पत्नी नन्दा
57. पतासी पुत्री नन्दा
58. बरजी पत्नी काना

59. नाथू } पुत्रान गोपी
60. कल्याण }

61. केशी पत्नी गोपी

62. सुवा
63. गुल्ला
64. पप्पू
65. मदन } पुत्रान चुना

66. धीरसिंह } पुत्रान रामेश्वर
67. कालूराम }



सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला - जयपुर) राज.

68. मुरली पत्नी रामेश्वर

69. सेडूराम पुत्र बंशी

समस्त उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

70. कैलाशचन्द

71. केशवचन्द

72. शंकरलाल

73. नानूलाल

पुत्रान मुरलीधर

74. अनोखी देवी

75. हंसादेवी

पुत्रीया मुरलीधर

समस्त उम्र व्यस्क जाति खाती निवासी ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

76. प्रबंधक सैन्टल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलान्दरपुर

77. प्रबंधक राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक शाखा धवली

78. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15-3-2022

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता सं. 142 के ख.न. 989/2/0.61 किता 1 रकबा 0.61 है0, हाल खाता सं. 210 के ख.न. 989/3/0.31 किता 1 रकबा 0.31 है0, हाल खाता सं. 128 के ख.न. 990/2/0.42 किता 1 रकबा 0.42 है0, हाल खाता सं. 144 के ख.न. 992/1/0.49, 995/1/0.23 किता 2 रकबा 0.72 है0, हाल खाता सं. 148 के ख.न. 521/0.38, 527/0.49, 539/0.02, 540/0.03, 547/0.06, 548/0.39, 555/0.13 किता 7 रकबा 1.50 है0, हाल खाता सं. 130 के ख.न. 949/2/0.91 किता 1 रकबा 0.91 है0, हाल खाता सं. 129 के ख.न. 951/0.05, 954/0.30, 955/0.04, 988/1/0.35, 994/0.28 किता 5 रकबा 1.02 है0, हाल खाता सं. 143 के ख.न. 571/0.04, 572/0.04, 577/0.08, 578/0.05, 901/2/0.36, 902/0.47, 903/0.50, 904/2/0.46 किता 8 रकबा 2.00 है0, हाल खाता सं. 145 के ख.न. 569/1/0.08, 573/0.11, 574/0.06, किता 3 रकबा 0.25 है0, हाल खाता सं. 147 के ख.न. 515/0.09, 516/0.08, किता 2 रकबा 0.17 है0, हाल खाता सं. 54 के ख.न. 343/0.41, 344/0.18, 345/0.39, 346/0.41 किता 4 रकबा 1.39 है0, हाल खाता सं. 28 के ख.न. 562/0.20, 563/0.16, 564/0.16, 565/0.15 किता 4 रकबा 0.67 है0, हाल खाता सं. 30 के ख.न. 566/0.15 किता 1 रकबा 0.15 है0, हाल खाता सं. 284 के ख.न. 567/0.21, 568/0.09 किता 2 रकबा 0.30 है0, हाल खाता सं. 140 के ख.न. 570/0.08, 575/0.12, 576/0.12 किता 3 रकबा 0.32 है0, हाल खाता सं. 446 के ख.न. 580/0.10, 581/0.13, 582/0.10, 584/0.13, 585/0.08, 586/0.09, 587/0.12, 588/0.09, 593/0.03 किता 9 रकबा 0.87 है0, हाल खाता सं. 285 के ख.न. 589/0.26, 608/0.11, 610/0.17, किता 4 रकबा 0.65 है0, हाल खाता सं. 146 के ख.न. 911/2.13, किता 1 रकबा 2.13 है0, हाल खाता सं. 130 के ख.न. 949/2/0.91 किता 1 रकबा 0.91 है0, हाल खाता सं. 37 के ख.न. 909/0.08, 910/0.06, 912/0.44 किता 3 रकबा 0.58 है0, हाल खाता सं. 38 के ख.न. 949/1/0.22, 990/1/0.22, 991/1/0.017 किता 3 रकबा 0.61 है0, हाल खाता सं. 335 के ख.न. 948/1/1.08 कुल किता 67 रकबा 16.66 है0 भूमि वाकै ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर राजस्थान में स्थित है।

यह कि हाल खात सं0 129,142,143,144,145,147,148 की भूमि के हिस्सा 1/4, 1/4 भाग के वादीगण सं0 1 लगा0 4 बराबर बराबर भाग के तथा हाल खाता सं0 128 का वादी सं0 1 हिस्सा 1/4 भाग, वादी सं0 3 हिस्सा 1/2 भाग तथा वादी सं0 4 हिस्सा 1/4 भाग का तथा हाल खाता सं0 210 की भूमि का वादी सं0 3 व वादी सं0 4 हिस्सा 1/2, 1/2 भाग के तथा हाल खाता सं0 54 के हिस्सा 1/4 भाग के वादीगण सं0 1 लगा0 4 हिस्सा 1/8 भाग का प्रतिवादीगण सं0 1 हिस्सा 1/8 भाग के प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 9, हिस्सा 1/6 भाग के प्रतिवादीगण सं0 10 लगा0 16, हिस्सा 1/12 भाग के प्रतिवादीगण सं0 17,18, यानि 3/8 हिस्सा के प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 18 हिस्सा 1/6 भाग का प्रतिवादीगण सं0 19 हिस्सा 1/12 भाग के प्रतिवादीगण सं0 20 लगा0 22, तथा हाल खाता सं0 146 के हिस्सा 1/2 भाग के वादीगण सं0 1 लगा0 4 व हिस्सा 1/2 भाग के प्रतिवादीगण सं0 20 लगा0 22, हाल खाता सं0 285 के खसरा नं0 का हिस्सा 1/3 भाग के आधा का वादीगण सं0 1,3 व हिस्सा 1/3 के आधा के प्रतिवादीगण सं0 52 लगा0 68 व हिस्सा 2/3 भाग के प्रतिवादीगण सं0 50 लगा0 51, हाल

सहायक जलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

खाता सं० 446 के हिस्सा 1/4 भाग के वादीगण सं० 1 लगा० 4 तथा हिस्सा 1/16 के वादीगण सं० 1,3 हिस्सा 1/4 का प्रतिवादीगण सं० 69, हिस्सा 1/16 का प्रतिवादी सं० 24 लगा० 29, हिस्सा 1/16 का प्रतिवादी सं० 31, 32, हिस्सा 1/16 का प्रतिवादी सं० 30, हिस्सा 1/16 का प्रतिवादी सं० 33 लगा० 37, हिस्सा 1/16 का प्रतिवादीगण सं० 38 लगा० 49, हिस्सा 1/16 का प्रतिवादीगण सं० 38 लगा० 42, हिस्सा 1/16 का प्रतिवादीगण सं० 23, हाल खाता सं० 140 में अंकित ख० न० की भूमि का हिस्सा 1/2 वादीगण सं० 1 व 3, हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण सं० 52 से 68 हाल खात सं० 28 के ख० न० का हिस्सा 1/4 के वादीगण सं० 1 लगा० 4 व हिस्सा 1/16 वादी सं० 1 व वादी सं० 3, हिस्सा 1/4 व 1/16 का प्रतिवादीगण सं० 23, हिस्सा 1/4 का प्रतिवादीगण सं० 24 लगा० 37, हिस्सा 1/16 व 1/32 का प्रतिवादीगण सं० 38 लगा० 46, हिस्सा 1/32 के प्रतिवादीगण सं० 47 लगा० 49, हाल खाता सं० 30 के ख० न० का हिस्सा 1/4 के वादीगण सं० 1 लगा० 4 व हिस्सा 1/16 वादी सं० 1 व वादी सं० 3 हिस्सा 1/4 व 1/16 का प्रतिवादीगण सं० 23, हिस्सा 1/4 का प्रतिवादीगण सं० 24 लगा० 37, हिस्सा 1/32 व 1/16 के प्रतिवादीगण सं० 38 लगा० 46 हिस्सा 1/32 के प्रतिवादीगण सं० 47 लगा० 49, हाल खाता सं० 284 के आराजी ख० न० का हिस्सा 1/3 भाग के वादीगण सं० 1 लगा० 4 व हिस्सा 1/3 के आधा का वादीगण सं० 1, 3 हिस्सा 1/3 भाग के प्रतिवादीगण सं० 50 व हिस्सा 1/3 भाग के आधा का प्रतिवादीगण सं० 52 लगा० 68 तथा हाल खाता सं० 130 के आराजी हाल ख० न० का हिस्सा 48/91 के भाग के वादीगण सं० 1, 3, 4 व हिस्सा 21/43 के प्रतिवादीगण सं० 24 लगा० 29, 30, 33 लगा० 37 तथा हिस्सा 22/43 के प्रतिवादीगण सं० 70 लगा० 75 तथा हाल खाता सं० 37 के ख न का वादीगण सं० 5 लगा० 9 बराबर बराबर भाग के तथा हाल खाता सं० 38 के ख. न० के वादीगण सं० 5 लगा० 7 व 8 लगा० 11 बराबर बराबर भाग के खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है इसी अनुसार राज में मांग के अनुरूप लगान जमा कराते आ रहे है। जमाबंदी में अंकित खातेदार जीवण, घासी, ननदू, देवी, नन्दा, नाथी, पत्नी किशना का देहान्त हो गया है उनके वारिसानो को प्रतिवादीगण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

3. वादीगण सं० 1 लगा० 4 एक ही वंशज कजोड के उत्तराधिकारी है तथा वादीगण सं० 5, 6 वादीगण सं० 4 के पुत्र वादीगण सं० 7 वादीगण सं० 1 की पत्नी, वादीगण सं० 8, वादीगण सं० 2 की पत्नी, वादीगण सं० 9 वादीगण सं० 3 की पत्नी तथा वादीगण सं० 10, 11 वादीगण सं० 2 के पुत्र है उक्त जिमन नं. 1 में वर्णित भूमि वादीगण की पुश्तैनी व खरीद शुद्धा भूमि है जिसका वादीगण ने वादपत्र के जिमन नं. 4 के अनुसार बारबर बराबर के हिस्सा से भूमि का बंटवारा कर रखा है। तथा मुताबिक बंटवारा ही भूमि पर काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग है।

4. यह कि प्रतिवादीगण ने एक नाजायज संगठन बना लिया है जो वादीगण को उसके हिस्से की भूमि में बाधा उत्पन्न करके भूमि को किसी खूंखार भू-माफिया गिरोह को बेचान करके परेशान व हैरान करके बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण वादीगण को उसके हिस्से की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है, जो कि वादीगण की भूमि को हडप करना चाहते है। तथा वादीगण के कब्जे में दखल पैदा करना चाहते हे। वादीगण को उसके हिस्से कब्जे पर उपयचोग उपभोग करने देने में अडचन पैदा करते है, तथा लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। तथा वादीगण को गाली गलौच करते है व मारपीट की धमकी देते है कि उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को सम्पूर्ण हिस्से में से भूमि विक्रय करेगे बंटवारे अनुसार भूमि विक्रय नहीं करेगे भूमि का कोई कानूनी बंटवारा नहीं करेगे तथा वादीगण को बरबाद करेगे काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने देगे। शानितपूर्वक काश्त करने में मजामहत बेजा पैदा करेगे वादीगण को भूमि से बेदखल करेगे जो करना हो कर लो।

5. यह कि हाल खात सं० 54, 146, 284, 285, 446, 28, 130, 30 वादीगण व प्रतिवादीगण के व हाल खात सं० 129, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 37, 38 वादीगण के मध्य शामिल में खातेदारी हाने के कारण आये दिन लगान संबंधी व अन्य कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते है राजस्व रिकार्ड सामिल में है। भूमि को मौके पर बांट रखा है जिस अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में मुताबिक वादपत्र के जिमन नं० 4 अनुसार बंटवारा कराने के लिये कई बार कहा परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण हां करते हुये टालमटोल करते रहे लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई है जो कि दिनांक 21.09.2015 को प्रतिवादीगण ने साफ तौर पर मना करते हुये वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि वादीगण के बंटवारे हिस्से में प्राप्त भूमि विवादग्रस्त के मुताबिक आपसी सहमति जिमन नं० 4 के 1, 2, 3, 4 अनुसार बंटवारा नहीं करायेगे तथा वादीगण को शीघ्र ही भूमि से बेदखल कर कब्जा करेगे बंटवारे अनुसार भूमि विक्रय नहीं करेगे भूमि का कोई कानूनी बंटवारा नहीं करेगे तथा वादीगण को बर्बाद करेगे काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने देगे। शानितपूर्वक काश्त करने में मजामहत पैदा करेगे वादीगण को भूमि से बेदखल करेगे जो करना हो कर लो। इसलिये भूमि का कानूनी बंटवारा कराया जाना व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबनद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

सहायक जज
शाहपुरा (जिला-जायपुर) राज.

अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा कर वादीगण/प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखकर राजस्व बोर्ड के नियमानुसार बंटवारा किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं० 9 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई। दिनांक 28.06.2018 को प्रकरण में राजस्व लोक अदालत केम्प नयाबास में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई।

दिनांक 26.10.2020 को प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 01.03.2021 को प्रतिवादी सं० 9 के अधिवक्ता ने प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं करना जाहिर किया। दिनांक 30.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प नयाबास में प्रतिवादी सं० 9 व अन्य पक्षकार उपस्थित होकर बंटवारा रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी। दिनांक 15.03.2022 को बंटवारा कुर्रैजात पर वकीलवादीगण को सुना गया। वकीलवादीगण ने बंटवारा कुर्रैजात अनुसार वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खाता सं. 142 के ख.न. 989/2/0.61 किता 1 रकबा 0.61 है, हाल खाता सं. 210 के ख.न. 989/3/0.31 किता 1 रकबा 0.31 है, हाल खाता सं. 128 के ख.न. 990/2/0.42 किता 1 रकबा 0.42 है, हाल खाता सं. 144 के ख.न. 992/1/0.49, 995/1/0.23 किता 2 रकबा 0.72 है, हाल खाता सं. 148 के ख.न. 521/0.38, 527/0.49, 539/0.02, 540/0.03, 547/0.06, 548/0.39, 555/0.13 किता 7 रकबा 1.50 है, हाल खाता सं. 130 के ख.न. 949/2/0.91 किता 1 रकबा 0.91 है, हाल खाता सं. 129 के ख.न. 951/0.05, 954/0.30, 955/0.04, 988/1/0.35, 994/0.28 किता 5 रकबा 1.02 है, हाल खाता सं. 143 के ख.न. 571/0.04, 572/0.04, 577/0.08, 578/0.05, 901/2/0.36, 902/0.47, 903/0.50, 904/2/0.46 किता 8 रकबा 2.00 है, हाल खाता सं. 145 के ख.न. 569/1/0.08, 573/0.11, 574/0.06, किता 3 रकबा 0.25 है, हाल खाता सं. 147 के ख.न. 515/0.09, 516/0.08, किता 2 रकबा 0.17 है, हाल खाता सं. 54 के ख.न. 343/0.41, 344/0.18, 345/0.39, 346/0.41 किता 4 रकबा 1.39 है, हाल खाता सं. 28 के ख.न. 562/0.20, 563/0.16, 564/0.16, 565/0.15 किता 4 रकबा 0.67 है, हाल खाता सं. 30 के ख.न. 566/0.15 किता 1 रकबा 0.15 है, हाल खाता सं. 284 के ख.न. 567/0.21, 568/0.09 किता 2 रकबा 0.30 है, हाल खाता सं. 140 के ख.न. 570/0.08, 575/0.12, 576/0.12 किता 3 रकबा 0.32 है, हाल खाता सं. 446 के ख.न. 580/0.10, 581/0.13, 582/0.10, 584/0.13, 585/0.08, 586/0.09, 587/0.12, 588/0.09, 593/0.03 किता 9 रकबा 0.87 है, हाल खाता सं. 285 के ख.न. 589/0.26, 608/0.11, 610/0.17, किता 4 रकबा 0.65 है, हाल खाता सं. 146 के ख.न. 911/2.13, किता 1 रकबा 2.13 है, हाल खाता सं. 130 के ख.न. 949/2/0.91 किता 1 रकबा 0.91 है, हाल खाता सं. 37 के ख.न. 909/0.08, 910/0.06, 912/0.44 किता 3 रकबा 0.58 है, हाल खाता सं. 38 के ख.न. 949/1/0.22, 990/1/0.22, 991/1/0.017 किता 3 रकबा 0.61 है, हाल खाता सं. 335 के ख.न. 948/1/1.08 कुल किता 67 रकबा 16.66 है। भूमि वाके ग्राम नयाबास तह० शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. वादी सं० 4, 5, 6 के हिस्से में आ.ख.न. 344/1 रकबा 0.11 है, 345/1 रकबा 0.24 है, 547 रकबा 0.06 है, 548 रकबा 0.39 है, 555/1 रकबा 0.0216 है, 555/2 रकबा 0.1084 है, 909 रकबा 0.08 है, 910 रकबा 0.06 है, 901/2 रकबा 0.36 है, 902 रकबा 0.47 है, 904/2 रकबा 0.46 है, 911/1 रकबा 0.19 है, 912 रकबा 0.44 है कुल किता 13 रकबा 2.99 है। भूमि रहेगी।

2. वादी सं० 3, 9 के हिस्से में आ.ख.न. 527/1 रकबा 0.05 है, 539 रकबा 0.02 है, 567/2 रकबा 0.15 है, 568 रकबा 0.09 है, 569/1 रकबा 0.08 है, 570 रकबा 0.08 है, 571 रकबा 0.04 है, 572 रकबा 0.04 है, 573 रकबा 0.11 है, 575 रकबा 0.03 है, 576 रकबा 0.03 है, 577 रकबा 0.08 है, 578 रकबा 0.05, 903 रकबा 0.50 है, 911/3 रकबा 0.84 है, 949/2 रकबा 0.48 है, 954/1 रकबा 0.24 है, 955 रकबा 0.04 है, 574/1 रकबा 0.04 कुल किता 20 रकबा 2.99 है। भूमि रहेगी।

3. वादी सं० 2, 8, 10, 11 के हिस्से में आ.ख.न. 540 रकबा 0.03 है, 515 रकबा 0.09 है, 516 रकबा 0.08 है, 527/2 रकबा 0.44 है, 951 रकबा 0.05 है, 954/2 रकबा 0.06 है, 988/1 रकबा 0.35 है, 989/2 रकबा 0.61 है, 989/3 रकबा 0.31 है, 990/1 रकबा 0.13 है, 990/2 रकबा 0.42 है, 994 रकबा 0.28 है, 995/1 रकबा 0.14, कुल किता 12 रकबा 2.99 है। भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिल. जयपुर) राज.

4. वादी सं० 1 के हिस्से में आ.ख.न. 521 रकबा 0.38 है०, 562/1 रकबा 0.01 है०, 562/2 रकबा 0.07 है०, 563/2 रकबा 0.04 है०, 564/3 रकबा 0.05 है०, 565/2 रकबा 0.04 है०, 566/2 रकबा 0.05 है०, 584 रकबा 0.13 है०, 585 रकबा 0.08 है०, 949/1 रकबा 0.22 है०, 990/3 रकबा 0.09 है०, 991/1 रकबा 0.17 है०, 992/1 रकबा 0.49, 995/3 रकबा 0.09 कुल किता 14 रकबा 1.91 है० भूमि रहेगी।

5. वादी सं० 1, 7 के हिस्से में आ.ख.न. 948/1 रकबा 1.08 है० कुल किता 1 रकबा 1.08 है० भूमि रहेगी।

6. वादी सं० 1 से 4 तक के हिस्से में आ.ख.न. 582/1 रकबा 0.06 है०, 586/1 रकबा 0.02 है०, 574/2 रकबा 0.02 है० कुल किता 3 रकबा 0.10 है० भूमि रहेगी।

7. वादी सं० 23 से 28 तक, 30 से 42 तक, 47 से 49 तक, 69, 29 के हिस्से में आ.ख.न. 580 रकबा 0.10 है०, 581 रकबा 0.13 है०, 582/2 रकबा 0.06 है०, 586/2 रकबा 0.07 है०, 587 रकबा 0.12 है०, 588 रकबा 0.09 है०, 593 रकबा 0.03 है०, कुल किता 7 रकबा 0.60 है० भूमि रहेगी।

8. प्रतिवादी सं० 20 से 22 तक के हिस्से में आ.ख.न. 911/2 रकबा 0.57 है०, 911/5 रकबा 0.46 है०, कुल किता 2 रकबा 1.03 है० भूमि रहेगी।

9. प्रतिवादी सं० 23 से 28 तक, 30 से 42 तक, 47 से 49 तक के हिस्से में आ.ख.न. 566/1 रकबा 0.10 है० कुल किता 1 रकबा 0.10 है० भूमि रहेगी।

10 प्रतिवादी सं० 24 से 28 तक, 30 से 37 तक के हिस्से में आ.ख.न. 948/3 रकबा 0.21 है० कुल किता 1 रकबा 0.21 है० भूमि रहेगी।

11.प्रतिवादी सं० 24 से 28 तक, 30 से 37 तक, 70 से 75 तक के हिस्से में आ.ख.न. 949/3 रकबा 0.43 है० कुल किता 1 रकबा 0.43 है० भूमि रहेगी।

12.प्रतिवादी सं० 52 व 54 से 55 तक, 58 से 68 तक के हिस्से में आ.ख.न. 575 रकबा 0.09, 576 रकबा 0.09 है० कुल किता 2 रकबा 0.18 है० भूमि रहेगी।

13.प्रतिवादी सं० 23 से 28 तक, 30 से 42 तक, 47 से 49 के हिस्से में आ.ख.न. 562/3 रकबा 0.0452, 562/4 रकबा 0.0748, 563/1 रकबा 0.0480, 563/3 रकबा 0.0720, 564/1 रकबा 0.0192, 564/2 रकबा 0.0908, 565/1 रकबा 0.1100 है० कुल किता 7 रकबा 0.4600 है० भूमि रहेगी।

14.वादी सं० 01 से 04 तक, प्रतिवादी सं० 20 से 22 तक के हिस्से में आ.ख.न. 911/4 रकबा 0.07 है० कुल किता 1 रकबा 0.07 है० भूमि रहेगी।

15.प्रतिवादी सं० 50 से 52 तक, 54, 55, 58 से 68 तक, के हिस्से में आ.ख.न. 567/1 रकबा 0.06, 589 रकबा 0.26, 608 रकबा 0.11, 609 रकबा 0.11, 610 रकबा 0.17 है० कुल किता 5 रकबा 0.71 है० भूमि रहेगी।

16.प्रतिवादी सं० 01 से 22 तक के हिस्से में आ.ख.न. 343 रकबा 0.41, 344/2 रकबा 0.07, 345/2 रकबा 0.15, 346 रकबा 0.41 है० कुल किता 4 रकबा 1.04 है० भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-3-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पुदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला, जयपुर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र - 5

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
:- 274/2016

शीर्षक

1. छीतर
2. भैरू
3. प्रभात
4. रामेश्वर } पुत्रान स्व. कजोड मल

5. सुरेन्द्र
6. प्रमाद } पुत्रान रामेश्वर

7. कानी देवी पत्नी छीतर
8. सीतादेवी पत्नी भैरू
9. झूमादेवी पत्नी प्रभात

10. कौशल किशोर
11. मुकेश } पुत्र भैरूराम

समस्त उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

बनाम

वादीगण

1. गंगाराम पुत्र झूथा

2. भगवाना
3. मुरली } पुत्रान किशना

4. लाडा
5. सेडी
6. प्रेम
7. आंची
8. गोठी } पुत्रीयाँ नाथी देवी पत्नी किशना

9. भैरू पुत्र नाथू

10. भंवर
11. रामेश्वर
12. बंशी
13. गोपी } पुत्रान जीवण

14. गोदी
15. प्रमू } पुत्रीया जीवण

16. घासी पुत्र देवा

17. मुरलीधर
18. जगदीश } पुत्रान सेडू

19. डूंगा पुत्र रामनाथ

20. कपिल
21. बंशी
22. बद्रीनारायण } पुत्रान खीवा



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

23. कल्याण सहाय पुत्र घूडाराम

24. हनुमानसहाय
25. कन्हैयालाल
26. बंशीधर
27. सुरजमल
28. जगदीशप्रसाद } पुत्रान रामू

29. मंगली पत्नी रामू
30. घीसा पुत्र रुडा

31. कालू } पुत्रान नानू
32. मदन }

33. प्रहलाद
34. हरफूल
35. शिशुपाल
36. कन्हैयालाल
37. मुकेश } पुत्रान दीपा

38. सुवालाल
39. सुणाराम
40. कानाराम
41. बंशीलाल } पुत्रान चन्द्रा

42. तीजा पत्नी चन्द्रा
43. कालूराम पुत्र नाथूराम उर्फ नाथूलाल
44. श्रीमती फुली पत्नी नाथूराम उर्फ नाथूलाल

45. सुमन } पुत्रीया नाथूराम उर्फ नाथूलाल
46. कविता }
47. छीतर } पुत्रान छाजू
48. भागीरथ }
49. गिरधारी }

50. मदनलाल दत्तक पुत्र भगवान सहाय
51. मन्नी पत्नी मदनलाल
52. गोटी पत्नी प्रभात

53. सुरजभान
54. रामवतार
55. मुकेश } पुत्रान नन्दा

56. प्रभाती पत्नी नन्दा
57. पतासी पुत्री नन्दा
58. बरजी पत्नी काना

59. नाथू } पुत्रान गोपी
60. कल्याण }

61. केशी पत्नी गोपी

62. सुवा
63. गुल्ला
64. पप्पू
65. मदन } पुत्रान चुना

66. धीरसिंह } पुत्रान रामेश्वर



सहायक डॉक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

67.कालूराम

68.मुरली पत्नी रामेश्वर

69.सेडूराम पुत्र बंशी

समस्त उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

70.कैलाशचन्द

71.केशवचन्द

72.शंकरलाल

73.नानूलाल

पुत्रान मुरलीधर

74.अनोखी देवी

75.हंसादेवी

पुत्रीया मुरलीधर

समस्त उम्र व्यस्क जाति खाती निवासी ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

76.प्रबंधक सैन्टल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलान्दरपुर

77.प्रबंधक राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक शाखा धवली

78.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 22/3/2022

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खाता सं. 142 के ख.न. 989/2/0.61 किता 1 रकबा 0.61 है0, हाल खाता सं. 210 के ख.न. 989/3/0.31 किता 1 रकबा 0.31 है0, हाल खाता सं. 128 के ख.न. 990/2/0.42 किता 1 रकबा 0.42 है0, हाल खाता सं. 144 के ख.न. 992/1/0.49, 995/1/0.23 किता 2 रकबा 0.72 है0, हाल खाता सं. 148 के ख.न. 521/0.38, 527/0.49, 539/0.02, 540/0.03, 547/0.06, 548/0.39, 555/0.13 किता 7 रकबा 1.50 है0, हाल खाता सं. 130 के ख.न. 949/2/0.91 किता 1 रकबा 0.91 है0, हाल खाता सं. 129 के ख.न. 951/0.05, 954/0.30, 955/0.04, 988/1/0.35, 994/0.28 किता 5 रकबा 1.02 है0, हाल खाता सं. 143 के ख.न. 571/0.04, 572/0.04, 577/0.08, 578/0.05, 901/2/0.36, 902/0.47, 903/0.50, 904/2/0.46 किता 8 रकबा 2.00 है0, हाल खाता सं. 145 के ख.न. 569/1/0.08, 573/0.11, 574/0.06, किता 3 रकबा 0.25 है0, हाल खाता सं. 147 के ख.न. 515/0.09, 516/0.08, किता 2 रकबा 0.17 है0, हाल खाता सं. 54 के ख.न. 343/0.41, 344/0.18, 345/0.39, 346/0.41 किता 4 रकबा 1.39 है0, हाल खाता सं. 28 के ख.न. 562/0.20, 563/0.16, 564/0.16, 565/0.15 किता 4 रकबा 0.67 है0, हाल खाता सं. 30 के ख.न. 566/0.15 किता 1 रकबा 0.15 है0, हाल खाता सं. 284 के ख.न. 567/0.21, 568/0.09 किता 2 रकबा 0.30 है0, हाल खाता सं. 140 के ख.न. 570/0.08, 575/0.12, 576/0.12 किता 3 रकबा 0.32 है0, हाल खाता सं. 446 के ख.न. 580/0.10, 581/0.13, 582/0.10, 584/0.13, 585/0.08, 586/0.09, 587/0.12, 588/0.09, 593/0.03 किता 9 रकबा 0.87 है0, हाल खाता सं. 285 के ख.न. 589/0.26, 608/0.11, 610/0.17, किता 4 रकबा 0.65 है0, हाल खाता सं. 146 के ख.न. 911/2.13, किता 1 रकबा 2.13 है0, हाल खाता सं. 130 के ख.न. 949/2/0.91 किता 1 रकबा 0.91 है0, हाल खाता सं. 37 के ख.न. 909/0.08, 910/0.06, 912/0.44 किता 3 रकबा 0.58 है0, हाल खाता सं. 38 के ख.न. 949/1/0.22, 990/1/0.22, 991/1/0.0.17 किता 3 रकबा 0.61 है0, हाल खाता सं. 335 के ख.न. 948/1/1.08 कुल किता 67 रकबा 16.66 है0 भूमि वाकै ग्राम नयाबास तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. वादी सं0 4, 5, 6 के हिस्से में आ.ख.न. 344/1 रकबा 0.11 है0, 345/1 रकबा 0.24 है0, 547 रकबा 0.06 है0, 548 रकबा 0.39 है0, 555/1 रकबा 0.0216 है0, 555/2 रकबा 0.1084 है0, 909 रकबा 0.08 है0, 910 रकबा 0.06 है0, 901/2 रकबा 0.36 है0, 902 रकबा 0.47 है0, 904/2 रकबा 0.46 है0, 911/1 रकबा 0.19 है0, 912 रकबा 0.44 है0 कुल किता 13 रकबा 2.99 है0 भूमि रहेगी।

2. वादी सं0 3, 9 के हिस्से में आ.ख.न. 527/1 रकबा 0.05 है0, 539 रकबा 0.02 है0, 567/2 रकबा 0.15 है0, 568 रकबा 0.09 है0, 569/1 रकबा 0.08 है0, 570 रकबा 0.08 है0, 571 रकबा 0.04 है0, 572 रकबा 0.04 है0, 573 रकबा 0.11 है0, 575 रकबा 0.03 है0, 576 रकबा 0.03 है0, 577 रकबा 0.08 है0, 578 रकबा 0.05, 903 रकबा 0.50 है0, 911/3 रकबा 0.84 है0, 949/2 रकबा 0.48 है0, 954/1 रकबा 0.24 है0, 955 रकबा 0.04 है0, 574/1 रकबा 0.04 कुल किता 20 रकबा 2.99 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

3. वादी सं० 2, 8, 10, 11 के हिस्से में आ.ख.न. 540 रकबा 0.03 है०, 515 रकबा 0.09 है०, 516 रकबा 0.08 है०, 527/2 रकबा 0.44 है०, 951 रकबा 0.05 है०, 954/2 रकबा 0.06 है०, 988/1 रकबा 0.35 है०, 989/2 रकबा 0.61 है०, 989/3 रकबा 0.31 है०, 990/1 रकबा 0.13 है०, 990/2 रकबा 0.42 है०, 994 रकबा 0.28 है०, 995/1 रकबा 0.14, कुल किता 12 रकबा 2.99 है० भूमि रहेगी।

4. वादी सं० 1 के हिस्से में आ.ख.न. 521 रकबा 0.38 है०, 562/1 रकबा 0.01 है०, 562/2 रकबा 0.07 है०, 563/2 रकबा 0.04 है०, 564/3 रकबा 0.05 है०, 565/2 रकबा 0.04 है०, 566/2 रकबा 0.05 है०, 584 रकबा 0.13 है०, 585 रकबा 0.08 है०, 949/1 रकबा 0.22 है०, 990/3 रकबा 0.09 है०, 991/1 रकबा 0.17 है०, 992/1 रकबा 0.49, 995/3 रकबा 0.09 कुल किता 14 रकबा 1.91 है० भूमि रहेगी।

5. वादी सं० 1, 7 के हिस्से में आ.ख.न. 948/1 रकबा 1.08 है० कुल किता 1 रकबा 1.08 है० भूमि रहेगी।

6. वादी सं० 1 से 4 तक के हिस्से में आ.ख.न. 582/1 रकबा 0.06 है०, 586/1 रकबा 0.02 है०, 574/2 रकबा 0.02 है० कुल किता 3 रकबा 0.10 है० भूमि रहेगी।

7. वादी सं० 23 से 28 तक, 30 से 42 तक, 47 से 49 तक, 69, 29 के हिस्से में आ.ख.न. 580 रकबा 0.10 है०, 581 रकबा 0.13 है०, 582/2 रकबा 0.06 है०, 586/2 रकबा 0.07 है०, 587 रकबा 0.12 है०, 588 रकबा 0.09 है०, 593 रकबा 0.03 है०, कुल किता 7 रकबा 0.60 है० भूमि रहेगी।

8. प्रतिवादी सं० 20 से 22 तक के हिस्से में आ.ख.न. 911/2 रकबा 0.57 है०, 911/5 रकबा 0.46 है०, कुल किता 2 रकबा 1.03 है० भूमि रहेगी।

9. प्रतिवादी सं० 23 से 28 तक, 30 से 42 तक, 47 से 49 तक के हिस्से में आ.ख.न. 566/1 रकबा 0.10 है० कुल किता 1 रकबा 0.10 है० भूमि रहेगी।

10. प्रतिवादी सं० 24 से 28 तक, 30 से 37 तक के हिस्से में आ.ख.न. 948/3 रकबा 0.21 है० कुल किता 1 रकबा 0.21 है० भूमि रहेगी।

11. प्रतिवादी सं० 24 से 28 तक, 30 से 37 तक, 70 से 75 तक के हिस्से में आ.ख.न. 949/3 रकबा 0.43 है० कुल किता 1 रकबा 0.43 है० भूमि रहेगी।

12. प्रतिवादी सं० 52 व 54 से 55 तक, 58 से 68 तक के हिस्से में आ.ख.न. 575 रकबा 0.09, 576 रकबा 0.09 है० कुल किता 2 रकबा 0.18 है० भूमि रहेगी।

13. प्रतिवादी सं० 23 से 28 तक, 30 से 42 तक, 47 से 49 के हिस्से में आ.ख.न. 562/3 रकबा 0.0452, 562/4 रकबा 0.0748, 563/1 रकबा 0.0480, 563/3 रकबा 0.0720, 564/1 रकबा 0.0192, 564/2 रकबा 0.0908, 565/1 रकबा 0.1100 है० कुल किता 7 रकबा 0.4600 है० भूमि रहेगी।

14. वादी सं० 01 से 04 तक, प्रतिवादी सं० 20 से 22 तक के हिस्से में आ.ख.न. 911/4 रकबा 0.07 है० कुल किता 1 रकबा 0.07 है० भूमि रहेगी।

15. प्रतिवादी सं० 50 से 52 तक, 54, 55, 58 से 68 तक, के हिस्से में आ.ख.न. 567/1 रकबा 0.06, 589 रकबा 0.26, 608 रकबा 0.11, 609 रकबा 0.11, 610 रकबा 0.17 है० कुल किता 5 रकबा 0.71 है० भूमि रहेगी।

16. प्रतिवादी सं० 01 से 22 तक के हिस्से में आ.ख.न. 343 रकबा 0.41, 344/2 रकबा 0.07, 345/2 रकबा 0.15, 346 रकबा 0.41 है० कुल किता 4 रकबा 1.04 है० भूमि रहेगी।

सहायक जलक्टर
शाहपुरा (जिला अजमेर) राज.

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रंजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज तारीख 22/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मन्मोहन मीना)

उप जिला मजिस्ट्रेट-पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर)
शाहपुरा (जिला जयपुर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		जोड़	
7. आदेशिका की तामील			

